न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 62/19 GCMS NO 2019/00167

1. गोपाल
2. मांगीलाल
3. जगदीश पिसरान मंगला
4. लक्ष्मीचंद पुत्र आनन्दीलाल
5. खिरदी चंद पुत्र सुखदेवा
6. रामप्रसाद पुत्र नरसंगा
7. हरिराम पुत्र नरसंगा
8. नरेन्द्र पुत्र नरसंगा
9. प्रहलाद पुत्र रामनारायण
10. फूलचंद पुत्र रामनारायण
11. बदरी पुत्र भुवाना(मृतक)
    11/1. ताराचंद पुत्र बदरी
12. रामजीलाल पुत्र भुवाना सभी जातियान रैगर निवासीयान ग्राम नया पढाना(रामसिहपुरा) तहसील व जिला सवाई माधोपुर
13. श्रीमति पार्वती पत्नि बदरी लाल जाति रेगर हाल निवासी प्लाट न0 15 चर्च के पास बाल मंदिर कालोनी सवई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. मदन पुत्र रामनाथ
2. राधेश्याम पुत्र रामनाथ
3. दीपचंद पुत्र बजरंगा
4. जुगल किशोर पुत्र गोवर्धन
5. कजोडी पुत्री मांग्या
6. कालू पुत्र तेज्या
7. ओमप्रकाश पुत्र स्व0सुखा
8. विनोद पुत्र रामसहाय
9. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 14/13 निर्णय व डिकी दिनांक 19.9.19 व संशोधित डिकी दिनांक 21.10.19 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री अजीजउद्दीन अहमद
अभिभाषक रैस्पो0 श्री विनोद अग्रवाल

दिनांक 21.10.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:30:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.9.19 व संशोधित डिक्री दिनांक 21.10.19 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो० द्वारा एक वाद पत्र इसी आशय का पेश किया कि साबिक आराजी ख०न० 116 रकबा 42 बीघा, ख०न० 161 रकबा 8 बीघा, ख०न० 151 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम नया पढाना तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित है। जिसके नवीन ख०न० 302 रकबा 0.30 है०, ख०न० 479 रकबा 0.50 है०, ख०न० 294 रकबा 0.09 है०, ख०न० 470 रकबा 0.58 है०, ख०न० 424 रकबा 0.33 है० , ख०न० 425 रकबा 0.64 है० ख०न० 426 रकबा 0.39 है०, ख०न० 427 रकबा 0.23 है०, ख०न० 428 रकबा 0.23 है०, ख०न० 303 रकबा 0.17 है०, ख०न० 478 रकबा 0.41 है०, ख०न० 302/528 रकबा 0.17 है०, ख०न० 525 रकबा 0.31 है०, ख०न० 526 रकबा 0.26 है० बने। जो वादीगणो के बुजुर्गो के समय से ही खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। उक्त भूमि खसरा गिरदावरी सम्वत 2009–2033 मे बतौर उप कृषक के रूप मे दर्ज है। उक्त भूमि काजी हबीबउल्लाह की जागीरदारी मे थी, जागीर उन्मूलन के उपरान्त वादीगणो के पूर्वजो के नाम खातेदारी मे रेवेन्यू अधिकारियो को लगानी चाहिए थी लेकिन रेवेन्यू अधिकारियो ने प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम नामा० संख्या 168 दिनांक 7.7.1977 के द्वारा विधि विरूद्ध खातेदारी दर्ज कर दी। जिनका वादग्रस्त आराजीयात पर कभी कब्जा नही रहा है। प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 मंगला पुत्र रामा रैगर के बंशज है। परन्तु मंगला पुत्र देवा रैगर की विरासत का फर्जकारी करके राजस्व कर्मचारी व सरपंच के फर्जी सजरे व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर नामा०संख्या 13 दिनांक 14.6.2000 द्वारा वादग्रस्त आराजी की फर्जी तरीके से खातेदारी हासिल कर ली। इस नामा०को निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी न० 15 लगायत 18 ने फर्जी व चालाकी से विधि विरूद्ध अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली। जो अवैधानिक है। दिनांक 25.12.12 को प्रतिवादीगणो ने वादग्रस्त आराजी को विक्रय करने की धमकी देने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ। वादी इस अमर की घोषणा कराने का अधिकारी है कि वाद पत्र के मद न० 1 लगायत 3 मे दर्ज आराजीयात वर वादी का पचास वर्षो से कब्जा होने से धारा 63 व 65 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अनुसार खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी अल्टरनेटिवली वाई एडवर्स पजेशन भी दावे के मद न० 3 लगायत 11 मे दर्ज आराजी के खातेदार घोषित योग्य है। वादी समस्त रिकार्ड आफ राईटस मे से खाता संख्या 61 व 65 से प्रतिवादी न० 3 ता 5 व 15 लगायत 18 का नाम हजफ कर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे एवं नामा०संख्या 13 दिनांक 14.6.2000 निरस्त किया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादीगण/अपीलांट को दावे के मद न० 3 ता 11 की भूमि मे मजाहमत व मदालखत नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो० द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो० का वाद स्वीकार किये जाने से व्यथित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:30:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 व 8 तथा 15/1 ता 15/3, 16/1, 16/2, व 17 ता 19 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया कि वादीगण/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा यह कहते हुए पेश किया कि मृतक रामा रैगर की कब्जे काश्त व खातेदारी की वादग्रस्त आराजी ग्राम रामसिहपुरा (नया पढाना) की आराजीयात जो पुश्तैनी कब्जे काश्त की आराजी रही है जो मंगलाराम प्रतिवादीगण के पिता अकेले मे नाम दर्ज है जिसका वादी ओपन होस्टाईल पजेशन भी चला आ रहा है। आल्टरनेरिवली बाई एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादीगण को खातेदारी दी जावे। दिनांक 2.3.88 को तकासमा सक्षम न्यायालय के द्वारा करना बताया गया है। तकासमा सहखातेदारो के बीच मे होता है बहार के व्यक्ति के बीच मे नही होता है। आर टी एक्ट 1755 की धारा 53 के विपरीत फर्जीवाडा किया गया था कानून मे इसकी कोई मान्यता नही है। वादीगण ने इन्द्राज दुरूस्ती उदघोषणा के साथ एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी लेने का पेश किय है जब कि विवादग्रस्त भूमि माफी हबीबउल्लाह की खातेदारी मानी गई और पुराना कब्जा प्रतिवादीगण के पूर्वजो का होने से धारा 19 ए के तहत मंगला की खातेदारी दर्ज हो गई। जो 1977 मे हबीबउल्लाह से मंगला के नाम दर्ज किया गया है। वादी के पूर्वजो के नाम कभी नही रही है। तो इन्द्राज दुरूस्ती और एडवर्स पजेशन का दावा स्वतःही गलत झूठा है। इसका सर्मथन कानून आर आर डी 2016 पेज 464 से स्पष्ट है जिसके अनुसार एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। जो आर आर टी 2016 (2) पेज 989 से भी स्पष्ट है। विवादित आराजीयात से मृतक रामा रैगर अथवा उसके अन्य पूर्वजो का कोई संबंध वास्ता नही रहा है। उक्त भूमियां रामा जीवनकाल मे कभी रामा व अन्य के नाम ही नही रही सही तथ्य यह है कि भूमियां 2017 से 2020 की जमांबंदी मे माफ़ी हबीबउल्लाह पुत्र ...उल्लाह के नाम रही है। चूकि उक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण के पिता भोल्या पुत्र बालू, मंगलया पुत्र देवा, रामनाथ पुत्र रामचन्द्रा, मूल्या पुत्र ग्यारसा व नारायण पुत्र हेमा रैगर के हक मे आई जिसका नियमानुसार नामा0 भी प्रतिवादीगण के पिता के नाम खुला। यह सारी कार्यवाही सन 1977 मे सम्पादित हुई। वर्ष 1977 के बाद ही यह प्रतिवादीगण के पूर्वजो के खातेदारी मे आई। इस सारी कार्यवाही मे वादीगण के पिता या पूर्वज किसी प्रकार से हितवद्ध या शामिल नही थे। इसी बजह से कब्जे अनुसार धारा 19 के तहत भूमियां का अन्तरण इन्द्राज प्रतिवादी के पिता भोल्या पुत्र बालू, मंगलया पुत्र देवा, रामनाथ पुत्र रामचन्द्रा, मूल्या पुत्र ग्यारसा व नारायण पुत्र हेमा रैगर के नाम हुआ। इनके फौत होने के बाद भूमियां ... वारिस प्रतिवादीगण के नाम आई। इस प्रकार विवादित आराजीयात मे वादीगण/रेस्पो0 का कोई हिस्सा नही बनता है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:30:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अमल मे आये 40 साल हो गये जिसकी जानकारी वादी व उसके पिता को थी उन्होने कभी कोई कार्यवाही नही की, पूर्वजो की जमीन को बनावटी व निराधार कहानी बनाकर हडपने का षडयंत्र किया जा रहा है। एडवर्स पजेशन के आधार पर झूठी आड लेकर क्लेम किया जा रहा है। जो किसी भी सूरत मे चलने योग्य नही है। तनकी संख्या 1 ता 3 को सिद्व करने का भार वादीगण पर परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत या राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया जिससे उनकी तनकी सिद्व हो सके या पजेशन का आधार साबित हो सके। उदघोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बंटवारा का दावा पेश किया गया है एक साथ दो सफर किया गया है जो कानूनन चलने योग्य नही है। पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही गई है। जबकि पुराना कब्जा माफी हबीउल्लाह के नाम थी इसके बाद पुराने कब्जे के आधार खातेदारी प्रतिवादी/अपीलांट के पूर्वजो के नाम धारा 19 के तहत दर्ज की गई। पूर्व मे खातेदारी सम्वत 2017 से 2020 की जमाबंदी अनुसार माफी हबीबउल्लाह के नाम दर्ज थी जो प्रदर्श डी 8 व 9 से बखूबी सिद्व होता है। विवादग्रसत आराजीयात 1977 से अपीलांट/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है इसकी जानकारी वादीगण/रेस्पो० को थी जिसके बाबजूद उनके द्वारा 40 वर्ष वाद अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि उदघोषणा का दावा की मियाद 3 वर्ष होती है। कब्जा निषेधाज्ञा पर 12 वर्ष की होती है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार विधि विरूद्व किया है जो खारिज योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण प्रकरण मे पुनःतनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का विवचेन विश्लेषण करते हुए पुनः विधि सम्मत पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो० के अधिवक्ता ने अपनी बहस एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया कि वादी न० 1 लगायत 3 तक हेमा रेगर के वंशज है । हेमा रेगर हमारे बुजुर्ग की काश्त की आराजी पुराने ख०न० 116 रकबा 42 बीघा व 161 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम नया पढाना मे स्थित है। हेमा रेगर के जमाने से उसके तीनो लडके नारायण,रामनाथ व बजरंगा का कब्जा रहा है। नारायण सबसे बडा था इसलिए नामा० संख्या 168 दिनांक 7.7.1977 के जरिये उक्त खसरा न० की खातेदारी अकेले नारायण के नाम दर्ज हो गई। कब्जा सभी भाईयो का बदस्तुर चला आ रहा है। ख०न० 479 व 302 पर वादी न० 1 व 2 के पिता रामनाथ पुत्र हेमा का कब्जा चला आ रहा था, ख०न० 477 व 294 पर वादी न० 3 के पिता बजरंगा पुत्र हेमा का कब्जा चला आ रहा था। पूर्व मे वादी बजरंगा ,रामनाथ पुत्र हेमा काश्त कर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। प्रतिवादी न० 9 लगायत 12 का कब्जा ख०न० 484 व 485 पर है। विवादित भूमि पर नारायण व उसके वारिसो का कही कब्जा नही रहा है। केवल रेवेन्यू रिकार्ड की गलत एन्ट्रीज फायदा उठाना चाहते है। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। ख०न० 424,425 व 426 के 1/2 हिस्से पर वादी न० 5 अपने पिता केश्या के जमाने से काश्त करता चला आ रहा है नारायण व उसके वारिसान का कब्जा नही है। वादी न० 6 ख०न० 425 व 426 के 1/2 हिस्से पर ... 5 से निरन्तर आज तक कब्जा चला आ रहा है वादिया न० 6 उक्त आराजियात ... सरकारी अदा करती चली

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:30:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आ रही है। ख0न0 525 व 526 पर वादी न0 7 अपने पिता के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। ख0न0 302/528 पर वादी संख्या 8 अपने पिता सुखा की मृत्यु उपरान्त निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। ख0न0 303 व 427 तथा 428 पर वादी संख्या 9 विनोद का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 18 का विवादित आराजीयात से कोई संबंध ताल्लुक व वास्ता नही रहा है। इन्होने चालाकी से रेवेन्यू कर्मचारियो से मिलकर सन 2000 मे खातेदारी दर्ज करवा ली जिसका उनको कोई अधिकार नही है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व से ही हम वादीगण/रेस्पो0 का बुजुर्गो के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। वादीगण का ओपन निर्बाध एवं होस्टाईल एडवर्स पजेशन भी 70 वर्षो से चला आ रहा है। विवादित आराजी पूर्व मे माफी हबीबउल्लाह की थी जिसे जागीर उन्मूलन के उपरान्त कब्जे अनुसार रेवेन्यू अधिकारियो द्वारा लगाना था लेकिन गलत रूप से प्रतिवादी न0 1 ता 14 के लगा दिया जिसका उनको कोई अधिकार प्राप्त नही है। लिहाजा विवादित आराजीयात से उनके धारा 63 व 65 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक सारे अधिकार समाप्त हो चुके है। वादीगण लम्बे पजेशन के कारण धारा 15 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक विवादित आराजीयात की खातेदारी प्राप्त करने मे मुस्ते है। प्रतिवादी 3 ता 5 के गलत रूप से खातेदारी दर्ज की गई है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पिता का नाम मंगल्या पुत्र रामा रेगर रहा है। परन्तु यह मंगला पुत्र देवा का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र सजरा से नामा0संख्या 13 दिनांक 14.6.2000 खातेदारी हासिल करने के कारण इनका विवादित आराजीयात से नामा0रद्दद्द किया जाना आवश्यक है। दिनांक 25.12.12 की बात है वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से न्यायालय मे चलकर कब्जे अनुसार खातेदारी बदलवाने की कही तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया व बेचान करने की धमकी देने पर दावा करना आवश्यक हुआ। अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस मे गलत तथ्य उठाये है जिसकी पुष्टि सम्पूर्ण अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे जबाव दावा पेश नही किया गया ना ही कोई भी लिखित व मौखिक साक्ष्य पेश की बल्कि काल्पनिक प्रदर्श डी 8 अंकित किया गया एवं रेस्पो0/वादी के दावे को स्वीकार करते हुए लिखित बहस पेश कर डिकी करने की प्रार्थना की गई लिहाजा अब अपीलांट अपनी स्वीकृति से एस्टोप्ड है एवं बदल नही सकता इस प्रकार अपील मेंनटेवल नही है। अपीलांट द्वारा कोई जबाब अधिनस्थ न्यायालय मे पेश नही किया गया है। बल्कि प्रतिवादी संख्या 7,9,10,11,12,13,14 द्वारा दिया गया. है। जिनके द्वारा यह अपील पेश नही की गई है। इसके पश्चात वाद मे लिखित बहस स्वीकृति मे पेश की है। लिहाजा अब उन्हे यह अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है। नमा0संख्या 168 दिनांक 7.7.77 एवं नामा0संख्या 13 दिनांक 14.6.2000 जिला कलेक्टर स0मा0 के निर्णय दिनांक 30.10.13 एवं नामा0संख्या 11 दिनांक 27.4.92 को जिला कलेक्टर स0मा0 द्वारा दिनांक 26.11.15 को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है। अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। [illegible] यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ग्राम रामसिहपुरा (नया [illegible] माधोपुर मे स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:30:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

विवादित आराजीयात बाबत रेस्पो0 संख्या 5 कजोडी की माँ केसर पत्नि मांग्या एवं रेस्पो0 संख्या 6 तेज्या व नानगा पुत्र तेज्या सहित अन्य व्यक्तियो द्वारा एक वाद अधिनस्थ न्यायालय मे मु0न0 97/91 केसर बनाम रामनाथ वगै0 पेश किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.6.94 को खारिज किये जाने से उसके विरूद्व न्यायालय हाजा मे अपील संख्या 86/94 पेश की गई जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.2.95 को खारिज की गई। केसर की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पुत्री कजोडी रेस्पो0 संख्या 5 दावे मे पक्षकार रही है। रेस्पो0 मदन व राधेश्याम पुत्र रामनाथ व दीपचंद पुत्र बजरंगा के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दावा संख्या 14/2013 पेश किया गया था जिसमे बंशावली मे हेमा के तीन पुत्र नारायण,रामनाथ व बजरंगा बताया है तथा गलती से उक्त आराजीयात को नारायण के नाम दर्ज होना बताया जाकर आराजीयात पर तीनो भाईयो के पुत्रो मे से नारायण के तीनो पुत्र रामकुवार,रामस्वरूप व प्रहलाद के पुत्र राजू ,कमलेश व कन्हैया का कब्जा व बजरंगा के पुत्रो मे दीपचंद का कब्जा व रामनाथ के दोनो पुत्र मदन व राधेश्याम का कब्जा बताया है, जबकि निर्णय मे नारायण के पुत्रो का 1/6 हिस्सा बरकरार रखते हुए अलग से आराजीयात रामनाथ के पुत्र मदन व राधेश्याम तथा बजरंगा के पुत्र दीपचंद के नाम से अंकित की गई है। नामा0संख्या 168 दिनांक 7.7.1977 के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय मे नामा0 की अपील संख्या 75/91 केसर बनाम गोपाल दायर की गई जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.5.99 को खारिज की गई है। रेस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा नामा0संख्या 168 मे मंगला पुत्र देवा को काल्पनिक मानकर तनकी संख्या 4 मे जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपील संख्या 25/12 निर्णय दिनांक 30.10.13 को मंगला पुत्र देवा की सीमा तक व नामा0संख्या 13 दिनांक 14.6.2000 को पूर्ण अपास्त कर तहसीलदार सवाई माधोपुर को पुनः जॉच कर नामा0खोलने के आदेश दिये गये है। रेस्पो0 संख्या 7 ओमप्रकाश पुत्र सुक्खा व कल्याण पुत्र मेवा के द्वारा मंगला (अपीलांट संख्या 1 ता 3 के पिता) के वारिसान अपीलांट संख्या 1 ता 3 द्वारा फर्जी तरीके से मंगला पुत्र देवा की भूमि का नामा0 संख्या 13 दिनांक 14.6.2000 अपने नाम कराने को लेकर पुलिस थाना मानटाउन मे मु0न0 190/2012 दर्ज करवाया गया। जिसमे अनुसंधान के पश्चात अंतिम रिपोर्ट (एफ आर) न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर मे पेश करने पर प्रतिवादीगण ने प्रसंज्ञान लेने की प्रार्थना करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15.2.__ को त्रुटि वश मंगला पुत्र देवा अंकित मानकर मंगला पुत्र रामा व मंगला पुत्र देवा को एक ही व्यक्ति माना गया है। जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर के यहॉ 71/2016 पेश की गई। जिसे माननीय न्यायालय ने दिनांक 27.4.17 को खारिज की गई है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि नामा0संख्या 13 दिनांक 14.6.2000 जो कि जिला कलेक्टर द्वारा खारिज किया जाकर तहसीलदार को पुनः विरासत की जॉच कर विरासत के अनुसार नामा0खोलने के आदेश पारित किये गये है। जिसकी अपील [illegible] संभागीय आयुक्त के यहॉ की जाने पर अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर का निर्णय यथावत रखा। जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के [illegible] अनुसार प्रकरण रिमाण्ड किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:30:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

गया है। जिसके निस्तारण बाबत उभयपक्ष द्वारा दौराने बहस किसी प्रकार की बात न्यायालय के सामने नही रखी गई है ना ही कोई दस्तावेज पेश किया गया है। रेस्पो0/वादीगण का कथन रहा कि अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी तरिके से नामा0संख्या 168 दिनांक 17.7.1977 को अपने नाम करवा लिया गया है। जब नामा0संख्या 13 जो कि नामा0संख्या 168 रामनाथ पुत्र रामचन्द्रा, भोला पुत्र बालू ,मूल्या पुत्र ग्यारसा , नारायण पुत्र हेमा मंगला पुत्र देवा के नाम खोला गया था के पश्चात मंगला पुत्र देवा की मृत्यु के पश्चात नामा0संख्या 13 मंगला के वारिसान अपीलांट संख्या 1 ता 3 के नाम खोला गया था, जिसे जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा निरस्त कर पुन:विधिवत वारिसान की जॉच कर नामा0खोलने के आदेश पारित किये गये थे। इससे स्पष्ट है कि पूर्व नामा0संख्या 168 जो कि रामनाथ पुत्र रामचन्द्रा, भोला पुत्र बालू ,मूल्या पुत्र ग्यारसा , नारायण पुत्र हेमा मंगला पुत्र देवा के नाम खोला गया था उसे मंगला की हद तक जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपास्त कर पुन: नामा0 खोलने के आदेश तहसीलदार को दिये गये है। जिसका तहसीलदार द्वारा कोई निर्णय पारित नही किया गया है। इससे स्पष्ट है कि नामा0संख्या 13 मे मंगला के वारिसान के हक निहित है एवं नामा0संख्या 11 को जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.11.15 के द्वारा अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुन:विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये गये है। जिसके निर्णय के संबंध मे भी उभयपक्ष द्वारा किसी प्रकार कोई दस्तावेज इस न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट संख्या 6 ता 12 का नाम का नाम दावे से किस आधार पर हजफ किया गया है। जबकि अपीलांट संख्या 6 से 12 भुवाना के वारिसान है। जो जमाबंदी सम्वत 2069–72 प्रदर्श 3 से 1/6 के हिस्सेदार खातेदार काश्तकार साबित है। इस प्रकार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

अत:अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के मु0न0 मु0नं0 14/13 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.9.19 व संशोधित डिक्री दिनांक 21.10.19 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता कि प्रकरण मे विवादित आराजीयात की वर्तमान मौके एवं कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नामा0 संख्या 11 व 13 के संबंध मे वस्तुस्थिति बाबत दस्तावेजात प्राप्त किया जाकर पुन:विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय मे दिनांक 9.12.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

21/10/24

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:30:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner